

सेवा

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद भदोही।

A-12

विषय-माननीय गहोदय द्वारा प्रार्थी को दिये गये नोटिस के जवाब के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

दिनांक 29.01.2021 ई0 को श्रीमान् सिविल जज सी0 डि0 महोदय भदोही द्वारा अपने अर्दलीय रमेश से मुझे व अनवर अहमद को अपने चेम्बर में बुलाया तब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम लोगो को किस लिए बुलाया है। जब वहाँ प्रार्थी गया तो श्रीमान सिविल जज महोदय धमकाने लगे की तुम लोगो ने नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया। जबकि हम लोग सफाई कर्मी है अधिकारी व कर्मचारीगण के आने के पूर्व ही अपना काम पूरा कर लेते है। श्री अभिनव यादवज जी ने अपने चेम्बर में बैठे दरोगा सुनिल यादव को ललकारा की मारो सालों को जब तक यह कबूल न कर ले कि पिन हम लोगो ने लगाया है। इसके बाद दरोगा सुनिल यादव ने 8-10 झापड़ मुझे व 8-10 झापड़ अनवर अहमद को मारा इसके बाद सिविल जज साहब ने कहा कि नेहा रानी से पैर पकड़कर माफी मांगो और हमारे मजहब के खिलाफ मुझे अनवर अहमद को मजबूर किया कि हम लोग नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगे।

महोदय, दिनांक 29.01.2021 ई0 को लगभग 1 बजे दिन में मुझे व अनवर अहमद को आनन्द तिवारी आकर चेम्बर में ले गये हम लोगो ने सारी घटना आप से बताया लेकिन दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2021 तक श्रीमान् जी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि दिनांक 01.02.2021 ई0 को अपने चेम्बर में सम्मानित न्यायिक अधिकारी एवं नाजिर व डिप्टी नाजिर की उपस्थिति में हम लोगो को धमकी दी गयी कि नामजद एफआईआर करा देंगे नाजिर यहाँ से इन लोगो को ले जाओ। इसके बाद प्रार्थी ने मजबूर होकर अपने अधिवक्ता को सारी बाते बताया और कहा कि जब माननीय जिला जज महोदय अपराध करने वाले को ही संरक्षण दे रहे है और मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे है तब मेरे अधिवक्ता के बताने के अनुसार की यह मामला मानवाधिकार के उपजे हुए अपराध का है और कानून के समक्ष न्यायाधीश व प्रशासनिक अधिकारी भी समान है। जिसमें किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरे बताये गये तथ्यों के अनुसार मेरे अधिवक्ता ने यह परिवाद तैयार किया और अपने जूनियर सुरेन्द्र नाथ एडवोकेट से परिवाद पत्र दाखिल कराया जिसमें मेरा व अनवर अहमद का बयान हो चुका है।

श्रीमान् हम लोग मुस्लिम हेला तबके से सम्बन्ध रखते है और समाज का वह कार्य जिसे सारी दुनिया गिरा हुआ कार्य समझती है। उसका सम्पादन करते है। पिछले 15-20 वर्षो से हम लोग 6 हजार रूपये के लिए इस न्यायिक परिवार का अंग रहे है और हमारे कार्य निष्ठा व चरित्र पर अब तक कोई अंगुली नहीं उठी, तब यह कैसा न्याय है कि एक न्यायाधीश स्वयं ही बिना हमें दोषी पाये अपने विश्राम कक्ष में दरोगा से पिटवा रहा है और श्रीमान् जी ने पट्टी बांध लिया।

महोदय हम चूँकि 20 वर्ष से इस परिवार की सेवा कर रहे है अन्यथा 6 हजार रूपये तो प्रार्थी किसी सड़क पर झाड़ू लगा कर कमा सकता है। माननीय महोदय की दृष्टि में यदि हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े है तो हमें जब चाहे कुचल दिजिए न तो हमारा कोई स्वाभिमान है न ही कोई सम्मान है।

अहमद कथाम

(2)

महोदय आपके द्वारा दी गयी नोटिस के पैरा 1 में यह कथन है कि मुझे परिवाद दाखिल करने की सलाह किसने दिया। इस सम्बन्ध में जैसा कि उपर कहा है कि मैंने अपनी पीड़ा अपने अधिवक्ता को बताया और उन्होंने सुझाव दिया किया दी जब श्रीमान् जी के जानकारी के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह परिवाद दाखिल किया गया।

महोदय आपके द्वारा नोटिस के पैरा 2 में लिखा तथ्य सत्य नहीं है। क्योंकि इस घटना की जानकारी श्रीमान् जी को मैंने व अनवर अहमद ने दिनांक 29.01.2021 ई० को ही दोपहर में दे दिया था और घटना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण बातें बताई थी कबूलनामा व नेहा रानी का पैर पकड़कर माफी मांगने की बात भी बताई थी, लेकिन श्रीमान् जी द्वारा घटना को छुपाने की गरज से नाजिर व डिप्टी नाजिर व सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आपके द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज दिखाया और धमकी दिया कि नाजिर ले जाईये नभजद एफ०आई०आर० कराईये। जब कि सी०सी०टी०वी० फुटेज में कोई ऐसा साक्ष्य है कि हम लोगो ने नेहा रानी की कुर्सी में पिन लगाया है। सत्यता तो यह है कि हम लोग नेहा रानी का नाम तक नहीं जानते थे।

महोदय नोटिस के पैरा 3 में लिखे गये तथ्य के बारे में यह कहना है कि पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही थी इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी क्योंकि श्रीमान् सिविल जज सि० डि० महोदय ने हमें व अनवर अहमद को जांच में उपस्थित होने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया बल्कि रमेश चपरासी के द्वारा चेम्बर में बुलवाकर पूर्व योजना के अनुसार चेम्बर में बैठे दरोगा से पिटवाना शुरू कर दिया। इसलिए परिवाद दाखिल करने तक हम लोगो को जानकारी भी नहीं थी की पिन चुभाने की घटना की कोई जांच चल रही है। क्योंकि प्रार्थी व अनवर अहमद को इस सम्बन्ध में कोई नोटिस कभी नहीं मिली।

महोदय नोटिस के पैरा 4 के सम्बन्ध में यह कथन करना है कि प्रार्थी श्रीमान् सिविल जज महोदय के चेम्बर में प्रार्थी दरोगा से पिटने के बाद नजारत में बैठ कर रो रहा था तब श्री आनन्द तिवारी ने हम लोगो को आप के समक्ष प्रस्तुत किया सारी घटना की जानकारी लेने के बाद भी दिनांक 29, 30, 31 जनवरी 2021 तक आपके द्वारा चुप्पी साधने एवं दिनांक 01.02.2021 को अपने चेम्बर में बुलाकर अपराध करने वाले न्यायाधीश महोदय को बचाने के उद्देश्य से प्रार्थी को ही धमकी देने लगे। इसलिए प्रार्थी ने माननीय महोदय के समक्ष प्रत्यावेदन न देकर मानवाधिकार न्यायालय की शरण लिया और घटना के सम्बन्ध में चतुर्थ कर्मचारी संघ दीवानी न्यायालय भदोही के अध्यक्ष व मंत्री महोदय को प्रत्यावेदन दिया।

आख्या सेवा में सादर समर्पित है।

दिनांक-15.02.2021 ई०

प्रार्थी

अब्दुल कलाम

सफाई कर्मचारी

जनपद न्यायालय भदोही

वस्तु सिविल जज
15/2/21

31/02/2021